उत्तर प्रदेश सरकार

पशुधन अनुभाग-3

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सख्या-6 /2024/आई/767930/2024-37-3003/1/2021

लखनऊ:: दिनाँक 10 अक्टूबर, **2024**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

**उत्तर प्रदेश, पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का प्रतिस्थापन परिभाषायें 2- उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली, 2024 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान उप-नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम |
|---|---|
| (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य प्रक्षेत्र प्रबन्धक (कुक्कुट), सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट), लेक्चरार, कुक्कुट और ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक के पदों के सम्बन्ध में निदेशक और पशुधन प्रसार अधिकारी के पद के सम्बन्ध में अपर निदेशक ग्रेड-।।, से है, | (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य- प्रक्षेत्र प्रबन्धक (कुक्कुट), सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट) लेक्चरार (कुक्कुट) और ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक, ज्येष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों के सम्बन्ध में निदेशक, प्रशासन एवं विकास से है और पशुधन प्रसार अधिकारी के पद के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी अपर निदेशक ग्रेड-2, से है। |

नियम 5 का संशोधन 3- उक्त नियमावली में, नियम-5, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| **स्तम्भ-1**<br>**विद्यमान नियम** | **स्तम्भ-2**<br>**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
|---|---|
| भर्ती का स्रोत<br>सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः-<br>(1) पशुधन प्रसार अधिकारी | सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेंगीः-<br>(1) पशुधन प्रसार अधिकारी- उत्तर प्रदेश |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | |
|---|---|---|
| | (क) 90 प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा<br>(ख) 10 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्ति ड्रेसर्स में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, और एक विषय के रूप में विज्ञान या कृषि के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हों, चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।<br>परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त ड्रेसर्स उपलब्ध न हो तो पदों को उप-खण्ड(क) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। | अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।<br>(2) ज्येष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी/ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक-मौलिक रूप से नियुक्त पशुधन प्रसार अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।<br>(3) प्रक्षेत्र प्रबन्धक (कुक्कुट)/सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट) और लेक्चरार (कुक्कुट)-मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी/ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। |

नियम 8 का प्रतिस्थापन

4- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| | **स्तम्भ-1**<br>**विद्यमान नियम** | **स्तम्भ-2**<br>**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
|---|---|---|
| शैक्षिक अर्हतायें | पशुधन प्रसार अधिकारी के सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को नियम-5 के खण्ड-(1) के उपखण्ड-(आई) के अन्तर्गत निम्नवत् योग्यताएं होनी आवश्यक हैः-<br>(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट की परीक्षा जीव विज्ञान या कृषि के साथ एक विषय के रूप में या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। | शैक्षिक अर्हताः-<br>पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के पास निम्नवत् अर्हतायें होनी आवश्यक हैः<br>(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की जीव विज्ञान समूह के साथ इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 के समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और विधि द्वारा स्थापित किसी पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय/पशुचिकित्सा महाविद्यालय से दो वर्षीय पशुधन प्रसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवश्य होना चाहिए। |
| | (दो) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान। | (दो) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान। |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम 10 का प्रतिस्थापन

5- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:-

| | **स्तम्भ-1**<br>**विद्यमान नियम** | **स्तम्भ-2**<br>**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
|---|---|---|
| आयु | सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाए, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की होः<br>परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। | आयु- सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, के प्रथम जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो;<br>परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों के मामले में उपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। |

नियम 15 का प्रतिस्थापन

6- उक्त नियमावली में, नियम 15 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| | **स्तम्भ-1**<br>**विद्यमान नियम** | **स्तम्भ-2**<br>**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
|---|---|---|
| पशुधन प्रसार अधिकारी के पद के लिये सीधी भर्ती की प्रक्रिया | पशुधन प्रसार अधिकारी के पद के सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नवत् होंगेः-<br>1-(एक) नियुक्ति प्राधिकारी.....अध्यक्ष<br>(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नाम-निर्दिष्ट कोई अधिकारी/ यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित | सेवा में पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी। |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जनजाति या पिछड़े वर्गो से भिन्न कोई अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा.....सदस्य

(तीन) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गो का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो का कोई अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा .....सदस्य

(चार) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई अधिकारी.....सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से एक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

टिप्पणीः- प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय।

(3) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंको को सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जितने लिखित परीक्षा के परिणाम पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक आये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्रदान किये गये अंको को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको में जोड़ें जायेगें।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायेगा। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

| | | |
|---|---|---|
| नियम 16 का संशोधन | 7- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप नियम 16(1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:- | |
| | **स्तम्भ-1**<br>**विद्यमान उप-नियम** | **स्तम्भ-2**<br>**एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम** |
| पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया | पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-<br>(1) ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक, प्रक्षेत्र प्रबंधक (कुक्कुट), सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट) और लेक्चरार (कुक्कुट) पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।<br>टिप्पणीः- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़ों वर्गो के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नाम निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। | पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-<br>(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मापदण्डों के आधार पर की जायेगी।<br><br>टिप्पणीः- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम-निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन कृत आदेश के अनुसार किया जायेगा। |

http://shasanadesh.up.gov.in

परिशिष्ट का प्रतिस्थापन

8- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 4(2) और नियम-22(2) के साथ संलग्न परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट

[ नियम-4(2) और 22(2) देखिये ]

| क्र0सं0 | पद का नाम | वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन | पदों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्थायी | अस्थायी | कुल |
| 1 | पशुधन प्रसार अधिकारी | वेतन बैण्ड-1, रू0 5200-20200 ग्रेड पे रू0-2800 | 2,831 | 286 | 3,117 |
| 2 | ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक | वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 ग्रेड पे रू0-4200 | 12 | - | 12 |
| 3 | प्रक्षेत्र प्रबंधक (कुक्कुट) | वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 ग्रेड पे रू0-4600 | 04 | - | 04 |
| 4 | सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी | वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 ग्रेड पे रू0-4600 | 01 | - | 01 |
| 5 | सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट) | वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 ग्रेड पे रू0-4600 | 02 | - | 02 |
| 6 | लेक्चरार (कुक्कुट) | वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 ग्रेड पे रू0-4600 | 01 | - | 01 |

स्तम्भ-2,

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट

[ नियम-4(2) और 22(2) देखिये ]

| क्र0सं0 | पद का नाम | लेवल/वेतन मैट्रिक्स | | पदों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | स्थायी | अस्थायी | कुल |
| 1 | पशुधन प्रसार अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स (रू0 29,200-92,300) | लेवल-5 | 2,331 | 286 | 2,617 |
| 2 | ज्येष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स (रू0 35,400-1,12,400) | लेवल-6 | 500 | - | 500 |
| 3 | ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक | वेतन मैट्रिक्स (रू0 35,400-1,12,400) | लेवल-6 | 12 | - | 12 |
| 4 | प्रक्षेत्र प्रबंधक (कुक्कुट) | वेतन मैट्रिक्स (रू0 44,900-1,42,400) | लेवल-7 | 04 | - | 04 |
| 5 | सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स (रू0 44,900-1,42,400) | लेवल-7 | 01 | - | 01 |
| 6 | सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट) | वेतन मैट्रिक्स (रू0 44,900-1,42,400) | लेवल-7 | 02 | - | 02 |
| 7 | लेक्चरार (कुक्कुट) | वेतन मैट्रिक्स (रू0 44,900-1,42,400) | लेवल-7 | 01 | - | 01 |

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no6/2024/I/ 767930 /2024-37-3003/1/2021, dated10 October, 2024**

**GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH**
**PASHUDHAN ANUBHAG-3**
**NOTIFICATION**
**Miscellanious**
**No. 6/2024/I/ 767930 /2024-37-3003/1/2021**
**Dated :: Lucknow 10 October, 2024**

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Utter Pradesh Animal Husbandry Livestock Extension and Poultry Development Service Rules, 2002

## THE UTTAR PRADESH ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT LIVESTOCK EXTENSION AND POULTRY DEVELOPMENT SERVICE ( SECOND AMENDMENT) RULES, 2024

**Short title and commencement**

1.(1) These rules may be called Uttar Pradesh Animal Husbandry Department Livestock Extension and Poultry Development Service (Second Amendment) rules 2024.

(2) They shall come into force at once.

**Substitution of rule 3 Definition**

2. In the Uttar Pradesh Animal Husbandry Department Livestock Extension and Poultry Development Service Rules, 2002 hereinafter referred to as the said rules, for existing sub-rule-3(c) set out in column-1 below, the sub- rule as set out in column-2 shall be substituted namely:-

| Column -1<br>Existing sub-rule | Column-2<br>Sub-rule as hereby substituted |
|---|---|
| 3. (c) 'Appointing authority in respect of the posts of Farm Manager (Poultry), Assistant Poultry Development Officer, Assistant Project Officer (Poultry), Lecturer (Poultry) and senior Poultry Inspector means the Director and in respect of the post of Livestock Extension Officer means the Additional Director Grade-2 | 3.(c) 'Appointing authority in respect of the posts of Farm Manager (Poultry), Assistant Poultry Development Officer, Assistant Project Officer(Poultry), Lecturer (Poultry) and senior Poultry Inspector, Senior Livestock Extension Officers means the Director Administration and Development and in respect of the posts of Livestock Extension Officers, Appointing authority means the Additional Director Grade-2. |

**Amendment of rule 5**

3. In the said rule, in rule 5, for existing rule set out in column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

| Column -1<br>Existing rule | Column-2<br>Rule as hereby substituted |
|---|---|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| **Source of recruitment** | Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-<br>(1) Livestock Extension Officer –<br>(a)Ninety percent by direct recruitment through the Selection committee.<br><br>(b) Ten percent by direct recruitment through the selection committee from amongst substantively appointed Dressers who have completed seven years service as such in the Animal Husbandry , Uttar Pradesh and who have passed the High School Examination with Science or Agriculture as one of the subjects of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognized by the government as an equivalent thereto on the first day of the year of recruitment:<br>Provided that if sufficient number of eligible or suitable Dressers are not available for direct recruitment the posts shall be filled by direct recruitment under sub- clause(a). | Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-<br>(1) **Livestock Extension Officer** – By direct recruitment through Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission.<br>(2) **Senior Livestock Extension Officer/ Senior Poultry Inspector**- by promotion through Departmental Selection Committee From amongst substantively appointed Livestock Extension Officers, who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment.<br>(3) **Farm Manager (Poultry)/ Assistant Poultry Development Officer/Assistant Project Officer (Poultry) and Lecturer (Poultry)-** by promotion through Departmental Selection Committee From amongst substantively appointed senior Livestock Extension Officer/Senior Poultry Inspectors who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment. |
| **Substitution of rule 8** | 4. In the said rule, in, for existing rule 8 set out in column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:- | |
| | **Column-1**<br>**Existing Rule** | **Column-2**<br>**Rule as hereby substituted** |
| **Academic qualification:-** | A candidate for direct recruitment to the post of Livestock Extension Officer under sub-clause(i) of clause(1) of rule 5 must possess the following qualification:<br>(i) Must have passed the Intermediate examination with Biology or Agriculture as one of the subjects of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the government as equivalent thereto. | Academic qualification:- A candidate for direct recruitment to the post of Livestock Extension Officer must possess the following qualification:<br>(i) Must have passed the Intermediate examination with Biology Group or Equivalent examination to 10+2 recognised by the Government and Must have 2 years Live Stock Extension diploma course from any veterinary college/veterinary university established by law. |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | |
|---|---|
| (ii) Knowledge of Hindi in Devnagri Script. | (ii) Knowledge of Hindi in Devnagri Script. |

**Substitution of rule 10**

5. In the said rule for existing rule 10 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

| **Column -2**<br>**Existing rule** | **Column-3**<br>**Rule as hereby substituted** |
|---|---|
| 10.A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised. | 10- A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised: |
| Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified. | Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified. |

**Substitution of rule 15**

6. In the said rule, in rule 15, for existing rule set out in column-1 below , the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

| | **Column -1**<br>**Existing rule** | **Column-2**<br>**Rule as hereby substituted** |
|---|---|---|
| **Procedure of direct recruitment for the post of Livestock Extension Officer** | For making direct recruitment to the post of Livestock Extension Officer, there shall be constituted a selection committee comprising:-<br>(i)Appointing Authority .....Chairman<br>(ii) An Officer belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribes, nominated by the appointing authority, if the appointing authority does not belong Scheduled Caste or Scheduled Tribes. If the appointing authority belong to the Scheduled Caste or Scheduled Tribes an officer other than belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribes or other Backward Classes shall be nominated by the appointing authority.....Member.<br>(iii)An Officer belonging to the other Backward Classes, shall be nominated by the appointing authority, If the | Direct recruitment to the post of Livestock Extension Officer in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group "C" posts (made and procedure) Rule, 2015 as amendmended from time to time. |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

appointing authority does not belong to the other Backward Classes. If the appointing authority belong to the other Backward Classes, an officer other than other Backward Classes or Scheduled Caste or Scheduled Tribes shall be nominated by the appointing authority.....Member.

(iv)An Officer Nominated by the District Magistrate of the concerned district.....Member.

(2) The Selection Commitee shall Scruitnize the application and require the eligible candidates to appear in a competitive examination.

Note- The syllabus for competitive examination shall be such as is prescribed by the Government from time to time.

(3) After the marks obtained by the candidates in the written test have been tabulated, the Selection Commitee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates as on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Committee in the respect. The marks awarded to each candidates in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written test.

(4) The Selection Commitee shall prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by aggregate of marks obtained by them in the written test and interview. If two or more candidates obtained equal marks, the candidates obtaining higher marks in the written test shall be placed higher. The Selection Commitee shall forward the list to the appointing authority.

**Amendment of rule 16**

7. In the said rule for existing sub-rule 16(1) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

| | **Column -1**<br>**Existing sub-rule** | **Column-2**<br>**Sub-rule as hereby substituted** |
|---|---|---|
| **Procedure for Recruitment by promotion** | 16- Procedure for Recruitment by promotion;-<br>(1) Recruitment by promotion to the posts for the senior poultry Inspector, Farm Manager (poultry). Assistant Poultry Development Officer, Assistant Project Officer (poultry) and Lecturer (Poultry) of | 16- Procedure for Recruitment by promotion;-<br>(1) Recruitment by Promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee Constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental promotion committee for posts outside the purview of the service Commission, Rules 1992 as amendment from time to time.

NOTE- Nomination of officers for giving representation to the scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the selection committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act as amended from time to time.

1994 as amended from time to time, through the selection committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the selection committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act as amended from time to time.

**Substitution of appendix**

8. In the said rules, the appendix appended with rule 4(2) and rule 22(2) set out in column-1 below, the appendix as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

**Column -1**
**Existing appendix**
**APPENDIX**
**[See RULES 4(2) AND 22(2)]**

| SI no. | Name of the Post | Scale of Pay | Number of Posts | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Permanent | Temporary | Total |
| 1 | Livestock Extension Officer | Pay Band-1 Rs.5200-20200 Grade Pay Rs.2800 | 2831 | 286 | 3117 |
| 2 | Senior poultry Inspector | Pay Band-2 Rs.9300-34800 Grade Pay Rs.4200 | 12 | - | 12 |
| 3 | Farm Manager (poultry). | Pay Band-2 Rs.9300-34800 Grade Pay Rs.4600 | 04 | - | 04 |
| 4 | Assistant Poultry Development Officer | Pay Band-2 Rs.9300-34800 Grade Pay Rs.4600 | 01 | - | 01 |
| 5 | Assistant Project Officer (poultry), | Pay Band-2 Rs.9300-34800 Grade Pay Rs.4600 | 02 | - | 02 |
| 6 | Lecturer (Poultry) | Pay Band-2 Rs.9300-34800 Grade Pay Rs.4600 | 01 | - | 01 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**Column-2**
**Appendix as here by substituted**
**APPENDIX**
**[See RULES 4(2) AND 22(2)]**

| SI no. | Name of the Post | Level/ Pay Matrix | | Number of Posts | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Permanent | Temporary | Total |
| 1 | Livestock Extension Officer | Pay Matrix Rs.29200-92300 | Level-5 | 2,331 | 286 | 2,617 |
| 2 | Senior Livestock Extension Officer | Pay Matrix Rs.35400-112400 | Level-6 | 500 | - | 500 |
| 3 | Senior poultry Inspector | Pay Matrix Rs.35400-112400 | Level-6 | 12 | - | 12 |
| 4 | Farm Manager (poultry). | Pay Matrix Rs.44900-142400 | Level-7 | 04 | - | 04 |
| 5 | Assistant Poultry Development Officer | Pay Matrix Rs.44900-142400 | Level-7 | 01 | - | 01 |
| 6 | Assistant Project Officer (poultry), | Pay Matrix Rs.44900-142400 | Level-7 | 02 | - | 02 |
| 7 | Lecturer (Poultry) | Pay Matrix Rs.44900-142400 | Level-7 | 01 | - | 01 |

By order,

K. Ravinder Naik,
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।